न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 26/2022 (GCMS No. 2022/28) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. प्रेमराज उम्र 51 वर्ष
2. प्रेमसिंह उम्र 45 वर्ष
3. रामबाबू उम्र 53 वर्ष

} पिसरान कमोद समस्त जातियान मीना, निवासी सिंघनिया, तहसील टोडाभीम जिला करौली।

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।
2. उपजिला कलक्टर, टोडाभीम जिला करौली।
3. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली।

..........रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02.12.2004 आवंटन सलाहकार समिति प्रशासन आपके द्वार अभियान सन् 2004 ग्राम पंचायत सिघनिया तहसील टोडाभीम जिला करौली।

उपस्थितिः–

1. श्रीमती शशि बंसल, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 28.07.2023

नि र्ण य

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आदेश आवंटन सलाहकार समिति तहसील टोडाभीम जिला करौली के आदेश दिनांक 02.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 के तहत ग्राम पंचायत रिघनिया तहसील टोडाभीम में आवंटन सलाहकार समिति की वैठक आयोजित की गई थी। जिसमें उपखण्ड अधिकारी

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

टोडाभीम, तहसीलदार टोडाभीम, विकास अधिकारी टोडाभीम, सरपंच ग्राम पंचायत सिघनिया, विद्यायक महुवा, प्रधान सुरेशी मीना सलाहकार समिति के सदस्य थे। जिन्होनें ग्राम पंचायत सिघनिया में भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये तथा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष 13 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें प्रार्थीगण के नाम भी शामिल थे। आवंटन पत्र आने के पश्चात् सलाहकार समिति ने प्रार्थीगण के आवंटन आराजी खसरा नम्बर 4 रकवा 2.81 हैक्टे. वांके ग्राम सिघनिया के पेश किये। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिताजी के समय से ही करीबन 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा था लेकिन आवंटन सलाहकार समिति ने केवल प्रार्थीगण के आवंटन पत्र निरस्त कर दिये तथा अन्य आवंटन का कब्जा सम्भला दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति ने प्रार्थीगण को भूमि खसरा नम्बर 4 में से प्रेमराज को 96 ऐयर, प्रेमसिहं को 96 ऐयर व रामबाबू को 95 ऐयर जमीन के आवंटन की सिफारिश आवंटन समिति ने आवेदन पत्रों की जॉच पडताल करके व पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट लेने के पश्चात् की थी लेकिन आवंटन करने के पश्चात पुनश्चः करके राजनैतिक द्धेषता से उक्त आराजीयात को विवादित भूमि बताकर गैरकानूनी तरीके से आवंटन के नियमों के बाहर जाकर उक्त आवंटन करने को निरस्त करने का अंकन कर दिया। जबकि यह भूमि न तो विवादित है और न किसी ने इस पत्रावली पर ऐसा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिससे उक्त भूमि विवादित हो। प्रार्थीगण को आवंटन करने के पश्चात् व मौके पर कब्जा सम्भलाने के पश्चात् प्रार्थीगण की बिना जानकारी व बिना सुने, बिना साक्ष्य का अवसर दिये पुनश्चः करके आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन निरस्त कर दिया। सारी प्रक्रिया अवैधानिक पूर्ण की है। प्रार्थीगण सम्वत् 2047 से लगातार आज तक उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। प्रशासन गांवों के संग शिविर दिनांक 21.11.2021 को या इससे पूर्व प्रार्थीगण के कब्जे का प्रमाणीकरण पटवारी हल्का ने दिया है। धारा 91 की रिपोर्ट है। उक्त भूमि बारानी दर्ज है। प्रार्थीगण का करीब 35 साल से अधिक अर्से से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि जो ऊबड–खाबड व टीलेनुमा थी को समतल करने में लाखों रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया है। राजस्व रिकार्ड में भी अमल है। प्रार्थीगण भूमिहीन एवं बीपीएल चयनित परिवार के सदस्य होने के बावजूद तथा प्रार्थीगण के पास उक्त भूमि के

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अलावा अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं होने के बाद भी आवंटन निरस्त किया है। उक्त भूमि बावत् प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई भी आवंटन आवेदन पत्र सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। आवंटन सलाहकार समिति ने खसरा परिवर्तन निर्धारण व गिरदावरी का बिना अवलोकन किये प्रार्थीगण का उक्त आवंटन निरस्त किया है जो गलत है जबकि खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत् 2047 से प्रार्थीगण के पिताजी के नाम से आज तक चला आ रहा है। उक्त आवंटन निरस्त करने का आदेश दिनांक 20.10.2021 को तब हुआ जब पटवारी हल्का, गिरदावर व राजस्व कर्मचारी ने मौके पर आकर प्रार्थीगण से कहा कि उक्त भूमि को आप खाली करिये व अपनी फसल को हटाईये। उक्त भूमि का राज्य सरकार द्वारा रीको को आवंटन कर दिया है। इसके पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहां आवंटन को बहाल करने का आवेदन पेश किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने प्रार्थीगण से कहा कि आपका कब्जा चला आ रहा है तथा तुम दुबारा राजस्व अभियान में कब्जेशुदा भूमि के आवंटन के लिए आवेदन कर देना आपको आवंटन कर दिया जायेगा। इस पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.11.2021 को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र उपजिला कलक्टर टोडाभीम को पेश किया। उपजिला कलक्टर टोडाभीम द्वारा आवेदन पत्र लेने से इन्कार कर दिया और कहा कि मैं मेरे आदेश को नहीं बदल सकता। आप उक्त आदेश की राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर कैम्प हिण्डौन के यहां अपील प्रस्तुत कर पहले दिनांक 02.12.2004 के आदेश को निरस्त करवाईये तब आपके आवंटन पर विचार किया जावेगा। रीको को आवंटित उक्त भूमि को अब राज्य सरकार ने निरस्त कर दी है तथा आपका कब्जा करीबन 35–40 साल से चला आ रहा है तथा उस कब्जे के आधार पर दुबारा आपका आवंटन कर दिया जावेगा। इसलिए यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ जो जानकारी होने के अन्दर मियाद पेश है। जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आवंटन सलाहकार समिति का आदेश दिनांक 02.12.2004 निरस्त किया जावे तथा उपजिला कलक्टर टोडाभीम को बाद जांच उक्त आवंटन करने की सिफारिश के आदेश फरमावें। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में न्यायिक नजीर 2019 आरआरडी पेज 669 पेश की।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि आवंटन को आवंटन सलाहकार समिति ने निरस्त कर दिया है। उक्त आराजी रीको औधौगिक क्षेत्र की क्षतिपूर्ति हेतु सीमांकित की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करते हुये कथन किया कि उक्त आवंटन निरस्त करने का आदेश दिनांक 20.10.2021 को ज्ञान तब हुआ जब पटवारी हल्का, गिरदावर व राजस्व कर्मचारी ने मौके पर आकर प्रार्थीगण से कहा कि उक्त भूमि को आप खाली करिये व अपनी फसल को हटाईये। उक्त भूमि को राज्य सरकार द्वारा रीको को आवंटन कर दिया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी मिली, अपील बिना देरी किये न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लिखित आधार पर्याप्त हैं। तकनीकि आधार पर अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील में हुये बिलम्व को कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक 02.12.2004 से विवादित आराजी खसरा संख्या 4 में पृथक पृथक 0.96 हैक्टे., 0.96 हैक्टे. व 0.95 हैक्टे. किस्म बारानी तृतीय आवंटन के लिए आवेदन किये। आवेदनों पर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट के कॉलम संख्या 18 में भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होने का उल्लेख किया, न ही किसी अन्य प्रयोजन के लिए आरक्षित हो का उल्लेख किया जबकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि विवादित होने का उल्लेख करते हुये आवेदन खारिज कर दिये। विवाद के संबधं में कोई भी टिप्पणी आवंटन सलाहकार समिति ने नहीं की है। दिनांक 02.12.2004 कैम्प सिघनिया प्रशासन आपके द्वार की कार्यवाही विवरण की सत्यप्रतिलिपि में अपीलान्ट को पहले तो विवादित आराजी पर आवंटन किये जाने की सिफारिश की गई तथा बाद में पुनश्चः लिखते हुये भूमि विवादित होने का उल्लेख करते हुये आवंटन आवेदन खारिज कर दिये। आराजी पर क्या विवाद है यह उल्लेख आवंटन सलाहकार समिति ने न तो आवंटन कार्यवाही विवरण पर और न ही आवंटन सिफारिश पर किया गया। उक्त दिवस को आयोजित कैम्प में अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील पी–14 के अनुसार संवत् 2062 लगायत 2066 में विवादित आराजी पर अपीलान्ट काबिज काश्त करते आ रहे है। पत्रावली पर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उपलब्ध रिकार्ड पर ऐसा कोई कारण उल्लिखित नहीं है कि भूमि पर क्या विवाद था ? जबकि आवेदन पत्रों की पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि भूमि मौके पर सार्वजनिक उपयोग में नहीं आ रही है तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं है एवं किसी प्रयोजन के लिए आरक्षित नहीं है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर मुताबिक खसरा परिवर्तनशील लगातार काबिज चले आ रहे हैं। न्यायालय के मत में उनके द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश पारित करना चाहिए था। उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश आवंटन सलाहकार समिति टोडाभीम का दिनांक 02.12.2004 अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आवंटन सलाहकार समिति की आगामी बैठक में अपीलान्ट के आवेदनों पर प्राथमिकता से विचार करते हुए समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर नियमन/आवंटन बावत् गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर